

**OFFICE OF COLLECTOR
& DISTRICT MAGISTRATE
BALOD (C.G.)**



**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला
दण्डाधिकारी, बालोद (छ.ग.)**

अपि / कर्मचारी कोड नं.

1351 / 08 / 03 / 2016



कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला बालोद (छ.ग.)

परिचय पत्र / IDENTITY CARD

नाम : श्री नारेन्द्र कुमार

Name : MR. NARENDRA KUMAR

पद : संरक्षण अधिकारी, गैर संस्थागत

Post : PROTECTION OFFICER, NIC

कार्यालय : महिला एवं बाल विकास विभाग, बालोद (छ.ग.)

Office : WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPT. BALOD (C.G.)

विभाग : महिला एवं बाल विकास विभाग

Deptt. : WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPT. BALOD (C.G.)

धार्मिक के हस्ताक्षर

जन्म तिथि : 01.12.1986

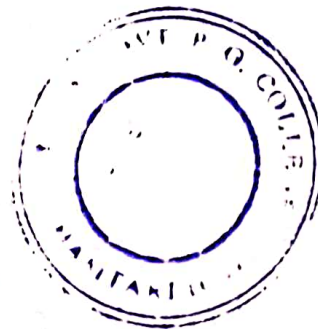
रक्त समूह : B+ve

सम्पर्क नं. : 07749-223941

मो. नं. : 9406101286

पता : ग्राम व पोस्ट-लोहरसी, थाना-अर्जुनी, तह. व जिला-धमतरी
(छ.ग.)

वैधता अवधि : जनवरी 2025



निर्देश -

1. जिस व्यक्ति को यह परिचय पत्र जारी किया गया है वह स्वयं इसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
2. यह परिचय पत्र स्थानांतरण होने पर अथवा सेवा मुक्त होने पर वापस किया जावे।
3. परिचय पत्र के खो जाने पर पुलिस अथवा जारीकर्ता अधिकारी को सूचित करें।
4. यह परिचय पत्र अहस्तांतरणीय है।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला-बालोद (छ.ग.)

कार्यालय दूरभाष - 07740-223922 E-Mail Id - dpobalod@gmail.com

---:: आदेश ::---

क्रमांक 1951/मबावि./आईसीपीएस/सं.नियु/2016-17 बालोद, दिनांक 08/08/2016

छ.ग. राज्य बाल संरक्षण समिति संचालनालय महिला एवं बाल विकास, विभाग द्वितीय तल इंद्रावती भवन नया रायपुर छ.ग. का पत्र क्रं./5678/मबावि/सावि/15-16 रायपुर दिनांक 13/10/2015 द्वारा एकीकृत बाल संरक्षण योजना(आईसीपीएस) के अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु प्रसारित विज्ञापन एवं प्राप्त आदेश/निर्देश एवं चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर संविदा नियुक्ति जिला बाल संरक्षण इकाई बालोद में एकमुश्त संविदा वेतन पर नाम के सम्मुख दर्शाये गये पदों पर उल्लेखित शर्तों के अधीन की जाती है:-

क्रं.	नाम	पिता/पति का नाम	पद नाम	चयनित श्रेणी	पत्र व्यवहार का पता	एकमुश्त संविदा वेतन प्रतिमाह
1	2	3	4	5	6	7
1	किशन लाल देवांगन	श्री होरी लाल देवांगन	संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख	अनारक्षित	शंकरपुर, शारदा चौक वार्ड नं. 10 राजनांदगांव (छ.ग.)	21000/-
2	नारेन्द्र कुमार	सेवन लाल	संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख	अनारक्षित	ग्रा.+पो. लोहरसी तह. जिला धमतरी	21000/-
3	कौशल प्रसाद राठौर	श्री नेगी राम राठौर	विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी	अनारक्षित	मु.+पो. धाराशिव (खो.) तह. जांजगीर जिला जांजगीर चाम्पा (छ.ग.) 495668	21000/-
4	श्रीमती अरलेखा देवांगन	श्री रघुनाथ देवांगन	परामर्शदाता	अनारक्षित	कोष्टा पारा चौक, लाली होटल के बाजू में दुर्ग (छ.ग.)	14000/-

नियम :-

1. संविदा नियुक्ति 02 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा वेतन के आधार पर नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि का निर्णय विभाग/संबंधित जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी।
2. संविदा नियुक्ति अवधि में योजना प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। अतः संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन उपादान भत्ता मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नहीं होगी।
3. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
4. चयनित उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में अयोग्य पाये जाने पर कार्यभार ग्रहण मान्य नहीं किया जावेगा।

08/08/16

यह आदेश कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगा। निम्नलिखित कार्यवाही को पालना आवश्यक होगा। यदि कार्यवाही नहीं की जाती है तो ऐसे कार्यवाही को पालना आवश्यक होगा।

6. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस चरित्र सत्यापित कराना आवश्यक होगा। यदि चरित्र सत्यापित नहीं किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवारों को पालना आवश्यक होगा।
7. चयनित उम्मीदवारों को आदेश जारी होने के पश्चात कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास विभाग, कलेक्टर के परिसर जिला बालोद में 15 दिनों के अंदर आदेश ग्रहण करना होगा। कार्यभार सत्यापन हेतु समस्त दस्तावेज साथ लेकर आदेश जारी होने के पश्चात तक कार्यभार ग्रहण न करने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(कलेक्टर एवं जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला बालोद (छ.ग.)
बालोद, दिनांक 08/08/2016

पृ.क्रमांक/1352/म.बा.वि./आईसीपीएस/सं.नियु./2016-11
प्रतिलिपि :-

1. सचिव छ.ग. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला-बालोद (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. सर्व श्री/श्रीमति/सुश्री ~~नारेड्डा सुमा (व्या.)~~ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. शाखा प्रभारी आईसीपीएस, जिला-कार्यालय अर्स्ती हेतु।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला बालोद (छ.ग.)



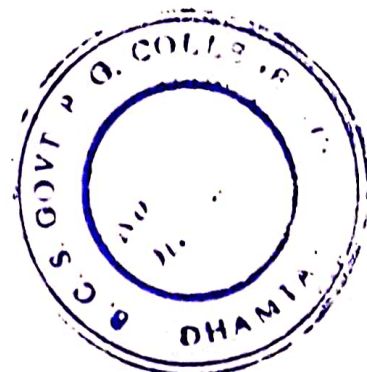
CHHATTISGARH POLICE



APPOINTMENT CERTIFICATE CUM IDENTITY CARD



NAME - DIGESHWAR KUMAR SAHU
SON OF - SHRI SAWANT RAM SAHU
RANK - COSTABLE-837
UNIT - 21ST B.N. C.A.F.(I.R.)
KARKABHATH, Dist.- BALOD
D.O.B. - 06/04/1988
D.O.A. - 01/06/2018
B. GROUP - O
MO. NO. - 8839439347



कार्यालय नगर पंचायत नरहरपुर, जिला-उ०ब०कांकेर(छ०ग०)

कार्यालय फोन एवं फैक्स नम्बर - 07841-255220

ईमेल आईडी - cmo.narharpur@rediffmail.com

क्रमांक / 612 / स्था. / न.पंचा. / 2018

नरहरपुर, दिनांक 22 / 12 / 2018

-:नियुक्ति आदेश:-

छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर जिला रायपुर के पत्र क्र. एफ -4-08/2018/18 अटल नगर दिनांक 03.12.2018 के तारतम्य में प्रेसिडेंट इन कौन्सिल की बैठक दिनांक 29.12.2018 संकल्प क्रमांक 01 में प्राप्त अनुशंसा/अनुमोदन के तहत नगर पंचायत नरहरपुर जिला- उ.ब. कांकेर (छ.ग.) रिक्त लेखापाल के पद पर श्री शंकर सिंह पिता श्री शंकर सिंह निवासी कोष्टापारा आजाद चौक धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.) का सामान्य शर्तों व निर्बंधनों के अधीन अस्थायी रूप से दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि में (5200-20200-2400 ग्रेड पे) तथा स्वीकृत महंगाई भत्ते एवं शासन द्वारा समय-समय पर रखे गए भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है।

शर्तें-

01. रिट पिटसन (एस) 6311/2018 श्री चंद्रप्रकाश कठाले विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन नियुक्ति रहेगी।
 02. चयनित अभ्यर्थी को 15 दिवस की समयावधि में चरित्र प्रमाण पत्र एवं मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र इस कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
 03. अर्हता/प्रमाण पत्र/दस्तावेज त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में नियुक्ति बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कुटरचित या फर्जी पाया जाता है तो उन्हें पद से बर्खास्त करते हुए आपराधिक/न्यायिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा, तदसंबंध में प्रस्तुत दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा।
 04. छ.ग. शासन/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 05. पुलिस सत्यापन में दोषी पाए जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त कर दी जावेगी।
 06. नियुक्ति आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- यदि विवाद की स्थिति में यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

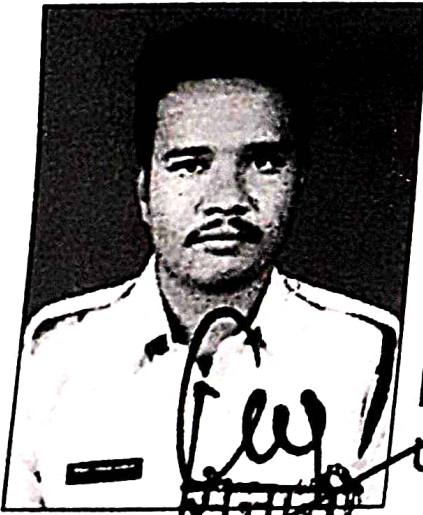


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत नरहरपुर
जिला-उ०ब०कांकेर(छ०ग०)



CHHATTISGARH POLICE

Appointment Certificate Identity Card



NAME : HEMANT KUMAR MANDAVI

S/O : SHRI MAKSUDAN MANDAVI

RANK : CONSTABLE - 921

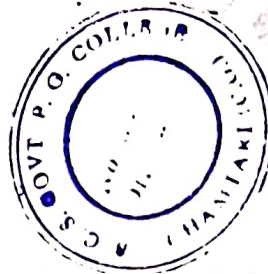
D. O. B.: 05.07.1992

D. O. J.: 15.01.2019

B. GROUP : O+

UNIT : 4TH BN CAF, MANA RAIPUR

चौथी पोलिस स्टेशन स. बल
4TH BN. CAF. S. Bal
MANA, RAIPUR (C.G.)



CARD HOLD SIGN.

कार्यालय कलेक्टर
(आदिवासी विकास) जिला-धमतरी (छ0ग0)

E-mail:-tribal.dhmtari@gmail.com, E-mail:-tribal.dhmtari@gmail.com, Mob No.-07722-232142, Fax No.-07722-232143

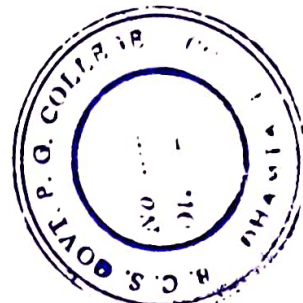
-:: आदेश ::-

कमांक / /आदि0वि0/समन्वय/न.क.68/2018 धमतरी दिनांक 20/ 04 /2018
छ0ग0 शारान आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन
नया रायपुर नव आदेश कमांक/एफ-17-58/2014/25-2/ रायपुर दिनांक 03.12.2016 के अनुपालन
में तथा भारत सरकार जनजातीय कार्य मन्त्रालय नई दिल्ली से विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी क्षेत्र
उपयोजना पर अर्पित समकाल एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना एवं पार्केट अंतर्गत
तकनीकी/निर्माण कार्य के सुदृढीकरण हेतु जिला सहाय चयन समिति के द्वारा चयनित निम्नलिखित
अभ्यर्थी को नीचे लिखे शर्तों के अधीन उपअभियंता (संविदा) के पद पर निश्चित मासिक वेतन रुपये
18900/- (अठ्ठासह हजार नौ सौ रु मात्र) पर आदेश दिनांक से 1 वर्ष की अवधि के लिए निम्नानुसार
शर्तों के आधार पर संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र०	नियुक्त संविदा कर्मचारी के नाम	पिता/पति का नाम	निवास का पता	पदस्थापना कार्यालय
01	02	03	04	06
01	श्री टोकेश्वर रामटेके	श्री हेमंत कुमार	स्कूल चौक दानीटोला वार्ड धमतरी जिला-धमतरी	कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना नगरी जिला-धमतरी

समस्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती है:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है जिसकी अवधि आदेश जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक
मान्य रहेगी। कार्य व्यवहार/गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर संविदा अवधि बढ़ाई/घटाई जा
सकेगी।
2. समस्त संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
3. आदेश जारी होने के पंद्रह दिनों के भीतर परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास
परियोजना नगरी जिला- धमतरी के समक्ष अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे,
विलम्ब की स्थिति अथवा आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आदेश
निरस्त किया जा सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में नियमानुसार अवकाश की पात्रता होगी।
5. कार्यालय प्रमुख के आदेश एवं शासकीय निर्देशों के अधीन कार्य करना होगा।
6. संविदा आधार पर नियोजन की अवधि में कहीं अन्यत्र नियोजन अथवा धन लाभ अर्जित
करने संबंधी कार्य वर्जित होगा एवं नियोजित व्यक्ति को पूर्ण कालिन सेवा कार्यालय में देना
होगा।
7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) 1965 से शासित होगा।



साविदा अवधि में कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने अथवा उर्पयुक्त शर्तों का उलंघन किये जाने पर नियोजक द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर नियोजित कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। साविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उससे एकज में एक माह का वेतन(मानदेय) देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। साविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए साविदा वेतन के कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का चयन किया गया है।

- 10 साविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात साविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है, उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ, अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
- 11 नियोजित कर्मचारी द्वारा माह विशेष में किये गये कार्यों के आधार पर साविदा कर्मचारी सेल्फ असोसियेट रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर कार्यालय प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
- 12 माह में प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों का दैनिक दैनिकिनी तैयार कर माह के प्रथम सप्ताह में इसे मासिक कार्यावली (मासिक कार्य दैनिकिनी) के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं आधारों पर गतिष्य में साविदा कर्मियों का सेवा विस्तार के संबंध में विचार किया जावेगा।
- 13 समस्थिति मान्य होने के 15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धमतरी द्वारा जारी स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 14 अर्हता प्रमाण पत्र/ दर्तावेज त्रुटि पूर्ण होने की स्थिति में नियुक्ति, बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी दर्तावेज कुट्टरचित या फर्जी पाया जाता है तो उन्हें पद से बर्खास्त करते हुए अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा।
- 15 माह नियुक्ति राज्य को भारत सरकार से वित्त पोषण/आवंटन प्राप्त होने की अवधि तक के लिए है।
- 16 शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों व दिशा-निर्देशों के पालन के शर्तों पर यह आदेश मान्य होगा।
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

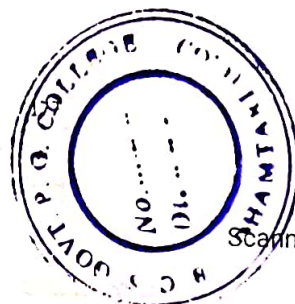
सहायक आयुक्त
वास्ते-कलेक्टर,
जिला-धमतरी

पृ०क्रमांक/ 11 /आदि०वि०/समन्वय/नं.कं.68/2018,
प्रतिलिपि :-

धमतरी दिनांक 20/04/2018

1. साविदा, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन तथा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित
3. कोषालय अधिकारी जिला कोषालय धमतरी को सूचनार्थ।
4. परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना नगरी को सूचनार्थ।
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी धमतरी जिला-धमतरी को सूचनार्थ।
6. श्री टोकेश्वर रामटेके/श्री हेमांत कुमार पता-स्कूल चौक दानीटोला वार्ड धमतरी जिला-धमतरी को पालनार्थ।

सहायक आयुक्त
वास्ते-कलेक्टर,
जिला-धमतरी





DAV COLLEGE TRUST & MANAGEMENT SOCIETY
CHITRA GUPTA ROAD, NEW DELHI

(UNIT : DAV MUKHYAMANTRI PUBLIC SCHOOL, MOKHPAL, PARCHELI, DIST-DANTEWADA, C.G.)

Ref: T&NT STAFF/APPT./2018-19/1385(5)

DATED : 31/03/2019

Sub.: Appointment of Teacher (PRT)

MEMORANDUM

Reference his/her application for the post of PRT (Social Studies) in DAV Institutions and his/her subsequent interview held on 05/06/2018 to 07/06/2018, I have been directed to offer him/her the post of PRT Social Studies at DAV MMPS, MOKHPAL on a basic pay of Rs.13500/- p.m. in the pay scale of Rs.9300-34800/- + G.P. 4200/- per month and admissible allowances as sanctioned by DAV College Trust & Management Society, New Delhi/DAV College Managing Committee, New Delhi from time to time.

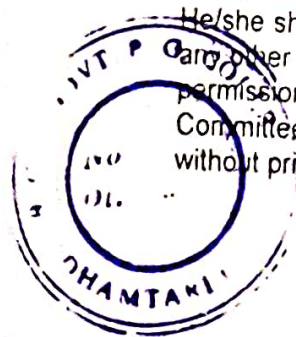
The terms and conditions of this appointment are as follows :

1. That he/she will be on probation for a period of one year w.e.f. the date of his/her joining the post which can be further extended by one year at the discretion of the DAV College Trust & Management Society, New Delhi/DAV College Managing Committee, New Delhi. In case, his/her performance is not considered satisfactory during probation period, the DAV College Trust & Management Society, New Delhi/DAV College Managing Committee reserves its right to terminate his/her services without assigning any reason by giving one month's notice or salary in lieu of it. Likewise the employee would be at liberty to leave the job but only after giving one month's notice or salary in lieu of it. On satisfactory completion of probation period, his/her case will be considered for confirmation.
2. After confirmation on the aforesaid post, his/her services can be terminated by three months notice on either side or on payment of salary in lieu of notice period.
3. In the matter of other general conditions of service, he/she will be governed by the Rules and Regulations of the DAV College Trust & Management Society, New Delhi/DAV College Managing Committee and the instructions issued by it from time to time.
4. He/she will be eligible to subscribe/contribute to the contributory Provident Fund as per the provisions of the Employees' provident Fund Scheme, 1952.
5. In case, any information given by him/her is found incorrect later on at any stage of the service, his/her services are liable to be terminated, besides such disciplinary action as may be considered necessary.
6. He/she will be required to faithfully follow the policies laid down by the Management in so far as the school programme and administration is concerned and that he/she shall work under the directions and instructions of the Principal.
7. The Governing Body, namely the DAV College Trust & Management Society, New Delhi/DAV College Managing Committee reserves its right to transfer him/her to any other institution at any place under its Management.
8. He/she shall devote his/her whole time to the service of the institution where he/she is employed. He/she shall not engage himself/herself in any private trade or undertake publication of books or any other work which is likely to interfere with the discharge of his/her normal duties without prior permission of the DAV College Trust & Management Society, New Delhi/DAV College Managing Committee, New Delhi, nor will he/she be entitled to take up any private coaching or tuition without prior permission of the Principal of the school.

Received

05/11/2019

Contd.02



- 9 He/she shall devote his/her whole time to the service of the institution where he/she is employed. He/she shall not engage himself/herself in any private trade or undertake publication of books or any other work which is likely to interfere with the discharge of his/her normal duties without prior permission of the DAV College Trust & Management Society, New Delhi/DAV College Managing Committee, New Delhi, nor will he/she be entitled to take up any private coaching or tuition without prior permission of the Principal of the school.
- 10 He/she shall maintain cordial relations with all members of the school community and also set highest standard of discipline in the school, and shall follow the Code of Conduct as set forth by the DAVCMC (copy enclosed).
- 11 During his/her service career, he/she shall not take part in politics nor indulge in activities prejudicial to the interest of the school or the DAV College Trust & Management Society, New Delhi/DAV College Managing Committee or the Government.
12. If he/she absents himself/herself from duty without permission during normal course of service or after the expiry of his/her leave and does not join duty even when called upon to do so, he/she shall be deemed to have abandoned his/her employment and his/her services can be terminated.
- 13 In case there is any change in address/contact details, in future; he/she will inform the office immediately.
14. Before assuming the charge of duties he/she will be required to produce the following certificate to the Principal:-
 - (i) Medical Certificate of fitness from the Registered Medical Practitioner.
 - (ii) Attested copies of academic and professional qualifications, and Matriculation Certificate alongwith originals (returnable)
 - (iii) A certificate of good character from the last employer or Principal of the College last attended or a Gazetted Officer.

If the aforesaid terms and conditions are acceptable to him/her, he/she should sign the duplicate copy of the appointment letter in token of his/her acceptance and sent the same to this office immediately, but not later than fifteen days. Failing which it shall be presumed that he/she is not interested in the post and this offer of appointment will be treated as cancelled.

In case, the offer is acceptable to him/her, he/she may report for duty to the Principal on or before 18/06/2018.

It may be clearly understood that her services shall be terminated by giving one month's notice period in case the Agreement for running the school is terminated by the Chhattisgarh Government and she will have no claim whatsoever.


 Manager/ Dy. Regional Officer
 DAV MMPS, Mokhpal, Dist. Dantewada
 & Authorized Signatory
 DAV College Trust & Management Society,
 New Delhi

Mr. Tekeshwar Kumar,
 B.A., B.Ed, CGTET
 DAV MM Public School Mokhpal, Dist-Dantewada (CG).

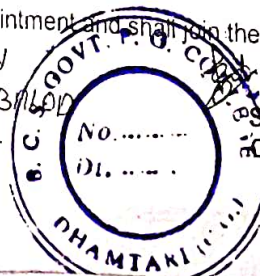
Copy for information and necessary action to: -

1. Principal, DAV MM Public School, Mokhpal, Dist-Dantewada (CG).
- 2.

I accept the aforesaid terms and conditions of appointment and shall join the duty on or before D.O.J. as directed.

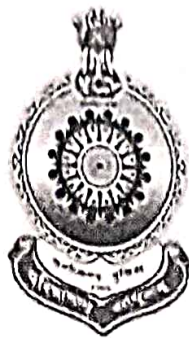
VILL. + POST - BASIN
 TEH. GURUR, DIST. BALASOR
 (C.G.) PIN. 491227

Encl : Code of Conduct.



TEKESHWAR KUMAR
 Signature with name & date
 Contact Number & Address
 7587315125

CHHATTISGARH POLICE



APPOINTMENT CERTIFICATE

SERVICE ROLL NO. 1658.....

DISTT. RAJNANDGAON

NAME - SMT. KESARI KANWAR.....

W/O. LETA SHRI MUKESH KANWAR.....

CASTE KANWAR..... (ST.....) HAS BEEN APPOINTED AS MEMBER OF POLICE FORCE UNDER CG POLICE ACT 2007 AND IS VESTED WITH THE POWERS, FUNCTIONS AND PRIVILEGES OF A POLICE OFFICER.

DATE OF APPOINTMENT 11-09-2019..... (.....)

ELEVEN SEPTEMBER TWO THOUSAND NINETEEN

RANK ..CONSTABLE (G.O.D.)

OB NO/DATE ..551/17-09-19..

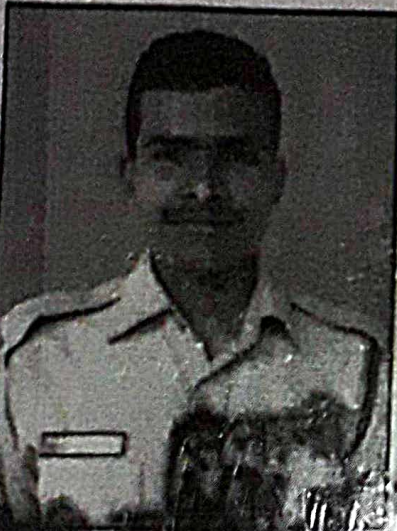



SURDY OF POLICE
RAJNANDGAON (C.G.)



CHHATTISGARH POLICE

Appointment Certificate Identity Card



NAME : YUVRAJ SINHA

S/O : SHRI SADHU RAM

RANK : CONSTABLE 1515

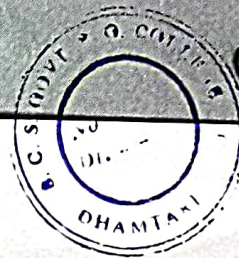
D. O. B.: 13.06.1995

D. O. J.: 05.01.2019

B. GROUP : ABOVE

UNIT : 4TH BN CAF MANA, RAIPUR

COMMANDANT



CARD HOLD SIGN.



CHHATTISGARH POLICE

Appointment Certificate Identity Card



NAME : DEEPAK KUMAR DEWANGAN

S/O : SHRI CHATUR RAM DEWANGAN

RANK : CONSTABLE -1333

D. O. B.: 12.03.1991

D. O. J.: 31.12.2018

B. GROUP : O+VE

UNIT : 4TH BN CAF MANA, RAIPUR

चौथी वाहिनी छ. स
COMMANDANT (छ.ग.)

CARD HOLD SIGN.



सीमा सुरक्षा बल
BSF
पहचान पत्र सख्या
IDENTITY CARD NO
वैध तिथि
VALID UPTO

वैयक्तिक नं० 28.02.2029
PERSONAL NO 170900959
पद
RANK CT
नाम
NAME HARI PRASAD
युनिट/मुख्यालय
UNIT/HQ 59 BN BSF

जारी करने वाले अफसर की मोहर और हस्ताक्षर / दिनांक
Stamp & Signature of Issuing Officer / Date 22.02.19

BORDER SECURITY FORCE (MINISTRY OF HOME AFFAIRS)

घर का पता VILL-MOHMALLA, PS/PO-DUGLI
Home Address TEH-NAGRI-DIST-DHAMTARI
STATE-CHHATTISHGARH-PIN-493728
फोन नं० Phone No. 8878869045
प्रत्यक्ष पहचान चिह्न A-BLACK MOLE ON RIGHT
Identification Mark HAND RING FINGER
रक्त श्रेणी AB+ve
Blood Group
हस्ताक्षर
Signature of Individual

गुम हो जाने पर निकटतम थाने और अपनी युनिट को सूचित करें, सेवा समाप्ति पर जारीकर्ता को लौटा दें।
REPORT LOSS IMMEDIATELY TO NEAREST POLICE STATION AND UNIT
RETURN TO ISSUING AUTHORITY/UNIT ON CESSATION OF SERVICE.
Emergency Tel No.: 011-24362362, 24360922 (BSF CONTROL ROOM, N.DELHI)

भारत सरकार की संपत्ति, अस्थानान्तरणीय
Property of Government of India Not Transferable





कार्यालय सेनानी चौथी वाहिनी छ.स.बल



माना-रायपुर (छ.ग.)
अनुसूची-2 (धारा-10 देखिये)

नियुक्ति प्रमाण-पत्र

आरक्षक हेड 1540 मोहन सिंह शास्त्री जी दलियाल
पदस्थापना इकाई 4थी वाहिनी छ.स.बल में उभरीसंगद मराठ
वल में नियुक्त किये गये हैं और उन्हें छत्तीसगढ़ मराठ दल अधिनियम-1968 (1968 का क्रमांक-29) के अन्तर्गत मराठ दल
के अधिकारी की शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार सौंपे गये हैं।

सेवा अभिलेख के अनुसार प्रमाणित किया जाता है।



पंजी क्र. 205

जारी दिनांक ... 19.02.2019.

सेनानी
4थी वाहिनी छ.स.बल,
माना-रायपुर (छ.ग.)

18-19



CHHATTISGARH POLICE

Appointment Certificate Identity Card



NAME : GIRIWAR KUMAR
S/O : SHRI BHAGWAN SINGH
RANK : CONSTABLE - 1398
D. O. B.: 02.08.1994
D. O. J.: 10.01.2019
B. GROUP : B+VE
UNIT : 4TH BN CAF MANA, RAIPUR

चीकी वीहना छ. सा. बल
COMMANDANT (उ.ग.)

CARD HOLD SIGN

